--: प्रेस नोट :--

SCRB, Bhopal

Date 12/08/2021

मध्यप्रदेश में e-FIR सेवा का Trial Run

देशभक्ति, जनसेवा....मध्यप्रदेश पुलिस का सदैव लक्ष्य रहा है और इसी कड़ी में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा एक नई पहल शुरू की जा रही है जिसके अतंर्गत राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो(SCRB), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में नागरिकों की सुविधा के लिए (वाहन चोरी एवं साधारण चोरी के मामलों में)Online FIR "e-FIR" दर्ज करवाने की सुविधा प्रारम्भ करने की तैयारी की जा रही है। जिसमें शिकायतकर्ता को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी| नागरिक द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट **https://mppolice.gov.in**, सिटीजन पोर्टल **https://citizen.mppolice.gov.in** तथा म.प्र. पुलिस के मोबाइल एप **MPeCOP** पर अपनी आईडी से लॉगिन करके e-FIR दर्ज कराई जा सकती है। e-FIR सेवा का प्रयोग निम्न मामलों में किया जा सकेगा:-

1. वाहन चोरी (₹ 15 लाख से कम कीमत के हों)
2. सामान्य चोरी (₹ 1लाख से कम कीमत के हों)
3. आरोपी अज्ञात हों, एवं
4. घटना में चोट/बल का प्रयोग न हुआ हों।

शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन upload करते ही उसे SMS के माध्यम से acknowledgement तथा FIR का प्रारूप PDF रूप में mobile पर प्राप्त हो जायेगा| शिकायतकर्ता की शिकायत को पढ़कर संबंधित थाना प्रभारी FIR OK करेगा तथा तत्काल विवेचक नियुक्त कर, विवेचना प्रारंभ कराएगा|

"e-FIR सेवा" के फायदे –

1. शिकायतकर्ता को थाने पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी
2. 24 X 7 e-FIR करने की सुविधा उपलब्ध
3. शिकायतकर्ता की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाकर समय सीमा में प्रकरण का निराकरण
4. वाहन चोरी के मामलो में बीमा राशि प्राप्त करने में लगने वाले समय में कमी
5. e-FIR के द्वारा दर्ज प्रकरण में की गई कार्यवाही से नागरिक सतत अवगत रहेंगे

e-FIR को क्रियान्वित करने में विभिन्न संस्थाओं SCRB एवं MAP_IT की सहभागिता है| किसी भी software को वृहद रूप से लागू किये जाने के पूर्व trial run किया जाता है जिससे सेवा के मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके|

उपरोक्तानुसार आज दिनांक 12.08.2021 से मध्यप्रदेश में e-FIR नागरिक सेवा का वृहद trial run प्रारम्भ किया जा रहा है|

इसके अतिरिक्त समस्त जिलों के **Social Media Web Page** तैयार किये गए है, जिसके माध्यम से प्रेस नोट एवं Social Media की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध होगी| किसी भी जिले की website को **<जिला>.mppolice.gov.in** पर access किया जा सकता है|

म.प्र. पुलिस द्वारा जनसेवा की दिशा में की गई इस पहल से ना सिर्फ नागरिकों को FIR दर्ज करवाने में सुविधा होगी बल्कि इन अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं निराकरण में मदद मिलेगी।